न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 189/2024

इमीचन्द उर्फ अमिचन्द आयु 69 वर्ष पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी 12 एस पी डी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. जयन्त पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. यशपाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. संकेत पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. दिनेश पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. लोकेश पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. सन्तोष कुमारी पत्नी भूपेन्द्र जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—— अप्रार्थीगण ——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल –प्रार्थी
2. श्री मदन लाल पारीक –अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30-5-25

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रार्थी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा व ठोस आधार है। यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एस पी डी के खाता सं. 3/3 के प.न. 86/375 (18) के किला न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 2/1/0.228, 2/2/0.025, गैर मु[illegible]ला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 4/1/0.228, [illegible]/1/0.228, 5/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 6 ता 14 [illegible] 15/1/0.16[illegible] [illegible]/375 (19) के किला न. 1/2/0.025, 10/2/0.025, 1/7/0.009 की 3.765 हेक्टर सयुक्त खाते की भूमि मे प्रार्थी का 36821/37650 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:46:40 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी सं. 4 व 5 के मृत पिता महेन्द्र पुत्र चन्दूराम के नाम चक 12 एस पी डी के खाता स. 62 के प. न. 86/375 (18) किला न. 16/3/0.1918, 17/1/0.101, 17/3/0.026 की 0.3188 हैक्टर हिस्सा सयुक्त खाते की भूमि है।

सहायक कलक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

यह कि अप्रार्थी सं. 4 व 5 के मृत पिता महेन्द्र पुत्र चन्दूराम के नाम चक 12 एस पी डी के खाता सं. 80 प. न. 86/375(18) का किला नरू 18/1/0.075, 18/3/0.051, 22/2/0.113, 23, 24/1/0089, की कुल 0.581 हैक्टर भूमि दर्ज क राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 3 के नाम चक 12 एस पी डी के खाता सं. 79 के प. न. 86/375 (18) के किला न. 21/1/0.164, 22/1/0.140, की कुल 0. 304 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 6 के नाम चक 12 एस पी डी के खाता स. 87 के प. न. 86/378 (18) के किला न. 20/1/0.215, 24/2/0.164, 25 की कुल 0. 632 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थी अपने नाम दर्ज भूमि को शांतिपूर्वक रूप से काबिज काश्त कर रहा है। प्रार्थी की भूमि के पत्थरं न. 86/375 के किला न. 11 ता 15 की भूमि के दक्षिण दिशा मे अप्रार्थीगण की प. न. 86/375 का किला न. 16 ता 20 की भूमि है।

यह कि अप्रार्थीगण गुण्डा प्रवृति के व्यक्ति है जो प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण आदि करने के लिये प्रयासरत है जिन्होने कुछ दिन पूर्व बिना अपनी कृषि भूमि का किसी रूप मे सीमाज्ञान करवाये प्रार्थी की भूमि मे अपनी भूमि का भाग बताते हुये दखलदाजी करने को प्रयासरत होने से प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तूलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वादकालिन निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामीत्व की चक 12 एस पी डी के खाता सं. 3/3 के प.न. 86/375(18), कें किला न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 2/1/0.228, 2/2/0.025, गैर मुमकिन खाला, 3/1/0. 228, 3/2/0. 025 गैर मुमकिन खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैर मुमकिन खाला, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 6 ता 14 व 15/1/0.164 हैक्टर व प. न. 87/375(19) के किला न. 1/2/0.025, 10/2/0.025, 1/7/0.009 की 3.765 हेक्टर सयुक्त खाते की कृषि भूमि मे प्रार्थी का 36821/37650 हिस्सा में प्रार्थी द्वारा शांतिपूर्वक रूप से की जा रही काश्त में किसी प्रकार से बाधा कारित नही करें तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से जबरन बेदखल करके प्रार्थीश्की खातेदारी भूमि पर अवैद्य रूप सें कोई मकानो आदि का निर्माण करने से निषेध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का वादकालिन निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामीत्व की चक 12 एस पी डी के खाता सं. 3/3 के प.न. 86/375(18), के किला न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 2/1/0.228, 2/2/0.025, गैर मुमकिन खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 4/1/0. 228, 4/2/0.025 गैर मुमकिन खाला, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गैर मुमकिन खाला 6 ता 14 व 15/1/0. 164 हैक्टर व प. न. 87/375 (19) के किला न. 1/2/0.025, 10/2/0. 025, 1/7/0.009 की 3.765 हेक्टर सयुक्त खाते की कृषि भूमि मे प्रार्थी का 36821/37650 हिस्सा में प्रार्थी द्वारा शांतिपूर्वक रूप से की जा रही काश्त में किसी प्रकार से बाधा कारित नही करें तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से जबरन बेदखल करके प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अवैद्य रूप से कोई मकानो आदि का निर्माण करने से निषेध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:46:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से निम्न प्रकार से है:–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत होने के तथ्य स्वीकार है परन्तु इसमें प्रार्थी की सफलता की कोई आशा नहीं है एवम् प्रार्थी की सफलता के कोई ठोस आधार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भुमि प्रार्थी ईमीचन्द के नाम दर्ज होना अंकित किया है, जिसे साबित करने का भार प्रार्थी स्वयं पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व अभिलेख मुझ अप्रार्थी की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 जिस प्रकार से दर्ज की गई है, स्वीकार नहीं है। चक 12 एस.पी.डी. के प.न. 86/375 कि.न. 1 से 5 प्रत्येक में 0.025 हैक. गै.मु. खाला दर्ज है। यह भुमि राजकीय गै.मु. भुमि है, प्रार्थी की भुमि नहीं है। प्रार्थी इस खाला की राजकीय भुमि पर अवैध निर्माण कर वाणिज्यिक हेतु इस भुमि का नाजायज उपयोग कर रहा है। प्रार्थी इस राजकीय भुमि पर किसी प्रकार का दावा व अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है, वह बतौर अतिक्रमी काबिज है। मुताबिक प्रार्थना पत्र की दफा 2 के कि.न. 15 में प्रार्थी की 0.164 हैक. भुमि नाम दर्ज है इस कि.न. में शेष भुमि प्रार्थी की नहीं है। अप्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की खातेदारी भुमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कतई मिथ्यारचित है, जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को रंगत देने की नियत से समस्त तथ्य गलत दर्ज किये है। अप्रार्थीगण शान्त प्रवृति के व्यक्ति है इन्होने कभी भी किसी अन्य या प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। अप्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थी के नाम दर्ज चक 12 एस.पी.डी के प.न. 86/375 के कि.न. 1 ता 15 की भुमि के सीमाकंन हेतु प्रार्थी ने स्वयं ने आवेदन किया था इस आवेदन पर श्रीमान भु–प्रबन्धन अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 22.11.2024 की पालना में श्रीमान नायब तहसीलदार पीलीबंगा भु–अभिलेख निरिक्षक पण्डितावाली, पटवारी हल्का 12 एस.पी.डी. तथा भु–प्रबन्धन टीम के सदस्यों द्वारा दिनांक 28.11.2024 को मौके पर पहुंच कर मौका निरिक्षण कर मौके पर मौजूद पत्थरो का कॉर्डिनेटस क्ळ्च मशीन द्वारा लिये गये प.न. के आधार पर ग्रीड़ बनवाकर चक 12 एस.पी.डी. का नक्शा सुपरईपोज किया गया। इस सुपरईपोज नक्शे के आधार पर प्रार्थी की कृषि भूमि पर निशानदेही दी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि को बिना भु–रूपान्तरण करवाये इस भुमि को वाणिज्यिक दुकानो हेतु बैचान कर रखा है गै.मु. खाला की समस्त भुमि एवं अपनी कृषि भुमि पर बिना किसी कन्वर्जन आदेश के इस कृषि भूमि को अवैध रूप से वाणिज्यिक कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है इससे बचने के लिए प्रार्थी ने गलत तथ्य पेश कर यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के हक हिस्सा की भुमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया जा रहा है जबकि प्रार्थी हिस्सा से अधिक भुमि पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करता रहता है। प्रार्थी स्थगन आदेश एंवम अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में राजकीय गै.मु. खाला की भुमि पर कब्जा बनाये रखना चाहता है तथा स्थगन आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि प[illegible]पूर्वक कब्जा काश्त में दखलदांजी करना चाहता है। प्रार्थी किसी प्रकार की [illegible]धाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है [illegible] पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:46:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1,3 ता 6 की तलबी बाद नोटिस तामिल प्[illegible]होने पर भी हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर मकान बनाकर प्रार्थी को बेदखल करना चाहता

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

है। प्रार्थी अपनी भूमि तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा कनर्फम करवाना चाहता है निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर दूकाने बना कर किराये पर दे रखी है। बेदखली से बचने के लिए राजपैरोकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है खारिज करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहस अध्ययन किया गया। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है इस लिए रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला अनवृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण चुंकि रिकार्डेड खातेदार है एवं अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है इस लिए दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होते है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 30-05-25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:46:40 IST
Reason: SelfAttested